भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार

सम्पादक :
डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

भारतीय ज्ञान परम्परा में शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार

सम्पादक :

डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

Ph.D., D.Lit. (Sub.)

निदेशक, कॉम्पिटिशन प्लस ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन,
अजमेर

छवि पब्लिकेशन्स

अजमेर-305001

प्रकाशक :
छवि पब्लिकेशन्स
अजमेर-305001
मो. 9660111549

संस्करण :
प्रथम 2024

ISBN : 978 - 81 - 89435 - 66 - 0

मूल्य - 300/-

रचना - भारतीय ज्ञान परम्परा में शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार

सम्पादक - डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

मुद्रक - श्रीनिवास प्रिन्टोग्राफिक्स, अजमेर

आर्य समाज की डी.ए.वी. शिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान

डॉ. मुकेश शर्मा
सहायक आचार्य (समाज विज्ञान विभाग)
हुकुमचन्द नोबल इन्स्टीट्यूट ऑव साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

महर्षिं दयानंद ने सन् 10 अप्रैल, 1875 में मुम्बई में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की जिसमें उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के सिद्धांतों के आधार पर 'आर्य समाज' की स्थापना की। इसके बाद आर्य समाज की शाखाएं भारत के विभिन्न भागों में स्थापित होने लगीं, विशेषकर पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस आंदोलन ने गहरी पैठ बनाई।

19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक, धार्मिक और नैतिक पतन के विरुद्ध सुधार की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। हिन्दू समाज जातिवाद, मूर्तिपूजा, बाल-विवाह, सती-प्रथा, और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों से ग्रस्त था। महर्षि दयानंद सरस्वती (1824-1883) ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने 'वेदों की ओर लौटो' का उद्घोष किया।

आर्य समाज ने भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक योगदान दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती का यह विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान होना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती (1824-1883) ने अपने जीवनकाल में ही शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता को अनुभव किया। उनके निधन के पश्चात् उनके अनुयायियों ने 1885 में लाहौर में एक सम्मेलन आयोजित कर '**दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज**' की स्थापना का निर्णय लिया। सन् 1886 में लाहौर (अब पाकिस्तान में) में प्रथम डी.ए.वी. कॉलेज की स्थापना हुई। इस कॉलेज की स्थापना में लाला हंसराज, लाला मुल्कराज, लाला देवी दयाल, और डॉ. गुरुदत्त जैसे समर्पित आर्य समाजियों ने अग्रणी भूमिका निभाई। इस कॉलेज का उद्देश्य था कि अंग्रेजी माध्यम से आधुनिक विज्ञान व तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाए, साथ ही वेदों, संस्कृत और वैदिक संस्कृति का भी शिक्षण कराया जाए।

डी.ए.वी. संस्थाओं के संचालन हेतु सन् 1886 में D.A.V. College Trust and Management Society की स्थापना की गई। यह संस्था आर्य समाज की शिक्षण नीतियों को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार बनी।

महात्मा हंसराज (1864-1938) ने इस आंदोलन को जीवंत दिशा दी। उन्होंने लाहौर डी.ए.वी. कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य के रूप में 25 वर्षों तक अवैतिक सेवा की। उन्होंने ही डी.ए.वी. शिक्षण संस्थाओं को राष्ट्रवादी चेतना और वैदिक मूल्यों से जोड़कर उसे एक जनांदोलन का रूप दिया। डी.ए.वी. संस्थाओं के प्रमुख उद्देश्य - वैदिक मूल्यों पर आधारित नैतिक शिक्षा का प्रचार आधुनिक विज्ञान, गणित, अंग्रेज़ी आदि विषयों का समावेश, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक गौरव की भावना का विकास, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन और स्त्री-शिक्षा का प्रोत्साहन आदि थे।

इस स्थिति में आर्यसमाज द्वारा जो दयानन्द एंग्लो वैदिक शिक्षण संस्थाएँ स्थापित की गईं, वे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करती थी। उनमें संस्कृत और हिन्दी की पढ़ाई का समुचित प्रबंध था, और धर्म शिक्षा की भी व्यवस्था थी। स्कूलों व कॉलेजों के साथ छात्रावासों का भी निर्माण किया गया था। जिनमें निवास करने वाले विद्यार्थी अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे, संध्या हवन आदि धार्मिक कृत्यों में सम्मिलित होते थे और आर्य समाजों के साप्ताहिक सत्संगों में भी उपस्थित हुआ करते थे। जो विद्यार्थी छात्रावासों में निवास नहीं करते थे, उन्हें भी अपने धर्म तथा संस्कृति से परिचित होने का अवसर मिलता था। आर्यसमाज के सम्पर्क में आते रहने के कारण वे अपने देश की दुर्दशा का भी अनुभव करने लगते थे, और उनमें राष्ट्रीयता, देशभक्ति तथा धर्म प्रेम की भावना उद्‌बुद्ध होने लगती थी। इस दृष्टि से डी.ए.वी. शिक्षण संस्थाओं को 'राष्ट्रीय' कहना भी अनुचित नहीं है। 19वीं सदी के अन्तिम चरण तथा 20वीं सदी के प्रथम चरण में जिस ढंग के शिक्षणालय सरकार तथा क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा भारत में स्थापित थे, उनकी तुलना में डी.ए.वी. स्कूल और कॉलेज वस्तुत: राष्ट्रीय थे।

ब्रिटिश सरकार भी यह बात भली भांति समझती थी कि आर्यसमाज और इसकी शिक्षण संस्थाएँ, राष्ट्रीयता और स्वराज्य की भावना का प्रादुर्भाव करती है। इसी कारण वह उन पर कड़ी निगाह रखती थी, और यह मानती थी कि पंजाब में राष्ट्रीय आन्दोलन जो निरन्तर सशक्त होता जा रहा है, उसका मूल कारण महर्षि दयानन्द की शिक्षाएँ ही थीं, जो उनके अनुयायियों को विदेशी शासन से मुक्त होकर स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रेरित कर रही थी।

मार्शल लॉ की अवधि में सर्वाधिक उत्पीड़न आर्यसमाज और उसकी संस्थाओं को झेलना पड़ा। मार्शल लॉ के अधीन जो आदेश जारी किये गये, उनमें एक पहला आदेश यह था कि डी.ए.वी. कॉलेज तथा कुछ अन्य कॉलेजों के छात्र दिन में तीन बार

ब्रेडले हॉल में ली जाने वाली उपस्थिति में शामिल हों। डी.ए.वी. कॉलेज के प्रिंसिपल और अध्यक्ष ने इस आदेश के विरुद्ध शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर को लिखा और उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि तीन बार ली जाने वाली उपस्थिति से पढ़ाई में बड़ी बाधा पड़ती है। शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को लिखा कि यदि कॉलेजों के प्रिंसिपल अपराध करने वाले छात्रों को स्वयं दण्डित करना स्वीकार कर ले तो उपस्थिति लेने का कार्य बन्द किया जा सकता है। जब डी.ए.वी. कॉलेज एवं अन्य कॉलेजों के प्रिंसिपलों ने छात्रों को दण्डित करने के संबंध में अपने प्रस्ताव रखे, तो अन्य कॉलेजों के प्रिंसिपलों के प्रस्ताव तो यथावत रूप में स्वीकार कर लिए गए, पर डी.ए.वी. कॉलेज के प्रिंसिपल के दण्ड प्रस्तावों को अपर्याप्त कहकर उनमें और वृद्धि कर दी गई।

लाहौर के जिला कलेक्टर ने डी.ए.वी. कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखा कि, ''मुझे आपको यह बताने का निर्देश मिला है कि कर्नल जॉनसन के पास जो सूचनाएँ उपलब्ध हैं उनको देखते हुए आपने जो दण्ड व्यवस्था प्रस्तावित की है उसे वह पूर्णत: अपर्याप्त समझते हैं। इन सूचनाओं से यह सिद्ध होता है कि राजद्रोहात्मक कार्यवाहियों के बारे में अन्य कॉलेजों के छात्रों की तुलना में आपके कॉलेज के छात्र बहुत आगे बढ़ गये हैं। इसलिए इस संबंध में मेरा यही कहना है कि यदि दण्ड व्यवस्था के बारे में आज ही आपके नये प्रस्ताव नहीं आये, तो जिलाधिकारी के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जायेगा कि वह आपके कॉलेजों को अविलम्ब बंद कर दे और आपके छात्रों को भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में न बैठने दें।''

सार्वजनिक शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर जे.ए. रिची ने कहा कि ''आर्यसमाज जैसा संगठन ही इस बात के लिए जिम्मेवार है जो इस प्रकार के प्रचार के लिए अपनी शक्ति लगा रहा है। यह देखते हुए मैं चाहता हूँ कि डी.ए.वी. कॉलेज के छात्रों की संख्या पर अंकुश लगाया जाए और मेरा सुझाव है कि डी.ए.वी. के छात्रावास में छ: सौ छात्रों के रहने की व्यवस्था है इसलिए इन कॉलेज के छात्रों की कुल संख्या 750 से अधिक नहीं होनी चाहिए।''

जे.एच. रिची महोदय का उपर्युक्त कथन डी.ए.वी. शिक्षण संस्थाओं में छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के कारण उत्पन्न हुई राजद्रोह रूपी अनुशासनहीनता को स्वीकार करते हैं। वे ये मानते हैं कि डी.ए.वी. शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए। इसका स्पष्टत: तात्पर्य यही है कि डी.ए.वी. कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों में राष्ट्रीय भावना के तथ्य विद्यमान होते थे और वे उन्हें निर्भ्रान्त रूप से प्रकट करते थे क्योंकि उनके समक्ष विभिन्न महापुरुषों के चरित्र विद्यमान थे।

श्री कुलतारसिंह ने कहा था–''हम महर्षि दयानन्द के चरणों में अपनी श्रद्धाञ्जलि

अर्पित करते हैं। हमारे दादा का महर्षि से सम्पर्क हुआ था। महर्षि ने ही हमारे परिवार को देश पर मरना सिखाया। इस दृष्टि से हमारा परिवार आर्यसमाज का चिर ऋणी है। जब महर्षि दयानन्द अपना प्रचारकार्य करते हुए पंजाब के होशियारपुर नगर में पधारे थे, तब हमारे दादा अपने गांव से कई मील पैदल चल कर स्वामी जी का भाषण-प्रवचन सुनने के लिए होशियारपुर गये थे। महर्षि के सम्पर्क से वे पक्के आर्यसमाजी बन गये थे। हमारे पिताश्री श्री किशनसिंह और चाचा श्री अजीत सिंह आर्य समाज के विचारों में पले। हमारे भाई भगतसिंह हिन्दी के एक कुशल लेखक थे, यह केवल आर्यसमाज के कारण ही सम्भव हुआ।''

''भगतसिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह की साम्प्रदायिक आस्था वैदिक धर्म के आर्यसमाजी ढंग की थी। भगतसिंह के पिताजी से मेरा घनिष्ठ परिचय रहा है। उनके दादा को भी मैं जानता हूँ। सिर पर केश होने के बावजूद ये लोग सिक्ख की अपेक्षा आर्यसमाजी ही अधिक थे। सरदार किशनसिंह आर्यसमाज के समाज सुधार के कार्यक्रमों में काफी दिलचस्पी रखते थे। लाहौर में आर्यसमाज का वार्षिकोत्सव होने पर वहाँ अवश्यक दिखाई दे जाते थे। भगतसिंह का पूरा परिवार ही आर्यसमाज की आरम्भिक प्रगतिवादी भावना से प्रभावित था। भगतसिंह के परिवार ने आर्यसमाज के प्रभाव से सामाजिक चेतना और प्रगति भावना को अपनाया। सरदार किशनसिंह डी.ए.वी. स्कूल और कॉलेज को राष्ट्रीय संस्था मानते हुए इस संस्थाओं के सहायक रहे हैं।''

श्री अलगू राय शास्त्री लिखते हैं कि ''श्री अजीत सिंह और उनके भाई किशन सिंह जो विख्यात क्रांतिकारी सरदार भगतसिंह के चाचा और पिता थे तथा जो आगे चल कर पंजाब के विधायक बने, दोनों ही दयानन्द एंग्लो-वैदिक स्कूल जालंधर के विद्यार्थी थे। उन दिनों में आर्यसमाजी नेता साईंदास के ज्येष्ठ पुत्र सुन्दरदास वहाँ मुख्य अध्यापक थे। निःसंदेह यह लाला सुन्दरदास ही थे जिन्होंने इन दोनों भाईयों को देश-भक्ति का पाठ पढ़ाया।''

इसके उत्तर में श्री रामगोपाल शास्त्री ने, जो डी.ए.वी. स्कूल में सरदार भगतसिंह के सिख या आर्यसमाजी होने के बारे में स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट और निर्विवाद कर देता है। पत्र इस प्रकार है-

मैं चीफ खालसा दीवान को बताना चाहता हूँ कि भगतसिंह आर्यसमाजी था, न कि सिख। वह लाहौर डी.ए.वी. स्कूल में मेरा छात्र था। उसके पिता सरदार किशनसिंह के लम्बे बाल थे, लेकिन वे लाहौर आर्यसमाज के सदस्य थे। भगतसिंह का यज्ञोपवीत संस्कार, उन दिनों के एक प्रसिद्ध आर्यसमाजी पण्डित लोकनाथ ने कराया था। सरदार किशनसिंह के भाई सरदार अर्जुनसिंह के चाहे केश थे, परन्तु वे भी पक्के आर्यसमाजी थे। वे मेरे निर्देशों के अनुसार संस्कारविधि आदि पढ़ा करते थे और प्रतिदिन हवन और

संध्या करते थे और प्रतिदिन हवन और संध्या करते थे। जब लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल स्कूल बनाया, तो भगतसिंह ने डी.ए.वी. स्कूल छोड़ दिया और वह उस नये स्कूल में चला गया।''

यहाँ हम केवल उनका विशेष उल्लेख कर रहे हैं जिन्होंने देश के स्वतन्त्रता संग्राम में अपना अपूर्व योग दिया। इनमें महात्मा हंसराज के पुत्र लाला बलराज हैं, जो डी.ए.वी. स्कूल के छात्र थे तथा जिन्हें लॉर्ड हार्डिंग्ज पर बम फेंकने के आरोप में 1914 में गिरफ्तार कर आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया था। लाला खुशहालचन्द (महात्मा आनन्द स्वामी) के पुत्र रणवीर को पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर 1934 ई. में गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रणवीर को भी मृत्युदण्ड दिया गया था, परन्तु बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। क्रान्तिकारियों में प्रमुख सरदार भगतसिंह भी डी.ए.वी. स्कूल की ही उपज थे, इनके बारे में कुछ भी लिखना कम होगा। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए साण्डर्स की हत्या तथा संसद्-भवन में बम फैंकने के आरोप में भगतसिंह 1931 में फाँसी पर चढ़ा दिया गया। भगतसिंह के भाई कुलतारसिंह व कुलवीरसिंह, मिलाप के श्रीयश, सभी डी.ए.वी. के छात्र थे। इन्हीं के एक साथी श्री राजेन्द्रनाथ 1932 में श्री महादेव देसाई के साथ गांधीजी के निजी सचिव भी रहे। एक और छात्र स्वामी रामानन्द (पूर्वनाम शिशुपाल) का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। यह छात्र अत्यन्त मेधावी था। 1930-32 में इसने मैट्रिक में विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड तोड़ा तथा बी.ए. और एम.ए. में भी विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बाद में इसने बिना विवाह किये संन्यास ले लिया। हरिद्वार में कनखल के पुल के पास बना रामानन्द आश्रम उसी के शिष्यों द्वारा उसकी स्मृति में बनाया गया है।

डी.ए.वी. संस्थाओं से अब तक लाखों विद्यार्थी पढ़कर निकले हैं, स्नातक बने हैं। उनमें से बहुसंख्य स्नातकों ने न केवल राष्ट्रीय अपितु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी पर्याप्त ख्याति अर्जित की है। विश्वभर में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ डी.ए.वी. विद्यालयों से शिक्षाप्राप्त स्नातक न हों। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हरगोविन्द खुराना भी डी.ए.वी. के छात्र रहे हैं।

डी.ए.वी. संस्थाओं में न केवल भारत में रहने वाले छात्र अपितु अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य विकासशील देशों में बसे भारतीयों के बच्चे, अफ्रीकी एवं एशियाई विद्यार्थियों के साथ, चण्डीगढ़, दिल्ली, जालन्धर, तथा देश के दूसरे भागों में स्थित डी.ए.वी. स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

26 मई, 1908 के कांगड़ा जिले के ज्वाला मुकली में प्रचार करते हुए ही उन्होंने सैनिकों को यही उपदेश दिया था कि उन्हें सरकार की शोषण प्रवृति की भर्त्सना

करनी चाहिए। आर्य समाज के शिक्षण विद्यालयों के माध्यम से सर्वत्र यही तत्व विद्यमान था कि युवकों में स्वामी दयानन्द जैसी विचारधारा उत्पन्न की जाए। इसलिए क्रान्तिकारी विचारों को उत्पन्न करने, युवकों को स्वावलम्बन व आत्मनिर्भर बनाने, भारत की उन्नति का विचार उत्पन्न करने इत्यादि हेतु ही लाला लाजपत राय ने शिवाजी, गैरी बोल्डी, मेजिनी के जीवन चरित्रों को प्रकाशित कर डी.ए.वी. शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध करवाया। सरकारी रिपोर्ट के अध्ययन से भी ज्ञात होता है कि इन सब के कारण 1895 व 1900 के बीच लाला लाजपत राय ने 'तवारि ए हिन्द' पुस्तक लिखकर नवयुवकों में देशभक्ति की भावना का संचार किया था।

इन विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बीच रात्रि शालाएँ संचालित होती थीं जहाँ बलिदान की गाथाओं के माध्यम से जनता को सामाजिक राजनैतिक दृष्टि से मुखर बनाया जाता था।

पंजाब में आर्य समाज के डी.ए.वी. संगठनों के विषय में अंग्रेजी सरकार की मान्यता को डी.ए.वी. कॉलेज, मलोठ के इतिहास विभाग अध्यक्ष डॉ. शिव कुमार गुप्त के दस्तावेजों से समझा जा सकता है। सरकार स्वतंत्रता आन्दोलन के लिए आर्य समाज की शिक्षण संस्थाओं के प्रति जो विचार रखते थे वे लिखते हैं, ''पंजाब में 1919–20 में जो व्यापक उपद्रव हुए वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण और निर्णायक सिद्ध हुए। इन उपद्रवों से भारतीय जनता में जागृति आयी और स्वतंत्रता संग्राम पर एक नव जीवनदायी प्रभाव पड़ा।''ये उपद्रव आर्य समाज की शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों के कारण थे जिन्होंने गांधी जी के असहयोग आन्दोलन में ब्रिटेन की सरकार के विरुद्ध कार्य किया था। 6 अप्रैल, 1919 ई. को पंजाब में हुई हड़ताल से गवर्नर जनरल ओडायर ने अपने संस्करण में लिखा था, ''ये हड़ताल पंजाब के लगभग सभी बड़े नगरों में हुई तथा इसके लिए लोगों पर दबाव डाला गया। मैंने लाहौर में इसे व्यक्तिगत रूप में देखा। हड़ताल के लिए खुले रूप में दबाव डाला जा रहा था तथा छात्रों में विशेष रूप से इस कार्य में भाग लिया।''

माइकल ओडायर के इन विचारों से स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि आर्य समाजी शिक्षण संस्थाओं के छात्रों के द्वारा क्रांति के बीजों के साथ ही हर स्थान पर सरकार के विरूद्ध हड़ताल की प्रवृति को प्रोत्साहन दिया जाता रहा। पंजाब में 13 अप्रेल, 1919 को हुए जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड ने सम्पूर्ण विश्व को झकझोंर दिया। जब इसके विरोध में कार्यवाही होने लगी तब सरकार ने पंजाब में 15 अप्रैल, 1915 को जलियाँवाला बाग और अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। जिसमें सबसे अधिक उत्पीड़न आर्य समाज की शिक्षण संस्थाओं और आर्य समाज को भुगतना पड़ा। 'मार्शल लॉ', के अधीन जो आदेश जारी किये गये उनमें पहला आदेश यह थ कि डी.ए.वी.

कॉलेज तथा कुछ अन्य कॉलेजों के छात्र दिन में तीन बार ब्रेडले हॉल में ली जाने वाली उपस्थिति में शामिल हो डी.ए.वी. कॉलेज के प्रिंसिपल और अध्यक्ष ने इस आदेश के विरूद्ध शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को लिखा और उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि तीन बार ली जाने वाली उपस्थिति से पढ़ाई में बाधा पड़ती है। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को लिखा कि यदि कॉलेजों के प्रिंसिपल अपराध करने वाले छात्रों को स्वयं दण्डित करने का कार्य स्वीकार करे तो उपस्थिति लेने का कार्य बन्द किया जा सकता है। जब डी.ए.वी. कॉलेज के प्रिंसिपलों ने छात्रों को दण्डित करने के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव रखे तो अन्य कॉलेजों के प्रिंसिपलों के प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिये गये लेकिन डी.ए.वी. कॉलेज प्रिंसिपल के दण्डित प्रस्तावों को अपर्याप्त कहते हुए उनमें और वृद्धि कर दी गई।'' स्पष्टत: जलियाँवाला काण्ड की प्रतिक्रिया स्वरूप डी.ए.वी. कॉलेज के छात्रों के इन्हीं राजनीतिक प्रवृत्तियों और राष्ट्रीय कार्यों के प्रति उनके उत्साह को दृष्टिगत रखते हुए ही मार्शल लॉ के आदेशों में डी.ए.वी. शिक्षण संस्थाओं के छात्रों को दण्डित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था।

आर्य समाज की राष्ट्रीय प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार निरन्तर कोई न कोई कार्य इस प्रकार चलाना चाहती थी जिससे आर्य समाज के व्यक्तियों में राष्ट्रीय तत्व ही विद्यमान न हो। डी.ए.वी. शिक्षण संस्थाओं की इन प्रवृत्तियों को जो समय की मांग और देशकाल के अनुरूप स्वयं को विकसित कर रही थी पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार ने प्रत्येक स्तर पर कदम उठाने के सुझाव दिये थे। इस संबंध में अम्बाला संभाग के कमीश्नर ए.सी. इलियट ने सुझाव दिया था। ''**इस संबंध में एकमात्र कदम जो सरकार उठा सकती है, वह यह होना चाहिए कि इस प्रकार की किसी भी संस्था या अन्य किसी भी ऐसी संस्था का जिसका संचालन आर्यसमाज करता है, किसी भी प्रकार का सरकारी अनुदान नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार को गोपनीय आदेश के द्वारा यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि किसी भी ऐसे प्रार्थी को, जो आर्यसमाज की शिक्षण-संस्थाओं में पढ़ा हो सरकारी नौकरी के लिए अनुशंसित न किया जाए या किसी जिला कार्यालय में कर्मचारी के रूप में नियुक्त न किया जाए। इसी के साथ जेलदारों और लम्बरदारों का चयन करने हुए जहाँ तक सम्भव हो, उम्मीदवारों में से ऐसे व्यक्ति को नियुक्त न किया जाए जो किसी आर्यसमाजी संस्था में पढ़ा हो।**''

कमीश्नर ए.सी. इलियट के सुझावों से यह भली प्रकार ध्वनित होता है कि आर्य समाज की शिक्षण संस्थाओं में पढ़े हुए व्यक्ति को सरकारी नौकरी में स्थान नहीं देना चाहिए और न ही उन्हें जेलदारों और नम्बरदारों में चयनित किया जाना चाहिए

क्योंकि उनके मन में यह विश्वास था कि आर्यसमाजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ा हुआ छात्र विद्रोही प्रवृति का है और वह अंग्रेजी सरकार के लिए परेशानी का कारण बनता है। अतः ऐसे उम्मीदवारों को जो आर्य समाजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़े हुए हैं उन्हें स्थान नहीं देना चाहिये। यह विचार इस तथ्य का भी द्योतक है कि आर्य समाज की डी.ए.वी. शिक्षण संस्थाओं में किस दृष्टिकोण से छात्रों में राष्ट्रीय भावना का प्रचार हो रहा था जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रखरता से भाग लिया। जालंधर सम्भाग में डिप्टी कमीश्नर डब्ल्यू.एफ. हेमिल्टन ने भी इसी प्रकार अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहा था कि आर्य समाजी निश्चित रूप से ईसाईयों विरोधी हैं। वे अपनी काल्पनिक भूतकालीन सभ्यता के गुणगान करते रहते हैं। परिणाम यह है कि उनकी शिक्षाएँ वर्तमान सरकार तथा गोरे लोगों के प्रति जो इसका संचालन कर रहे हैं जो गुप्त रूप से अवमानना जनक है।

अंग्रेज सरकार के अधिकारियों की यह दृढ़ मानसिकता बनती जा रही थी कि आर्य समाज की शिक्षण संस्थाओं में प्राच्य सभ्यताओं के गुणानुवाद करने के कारण इनमें विभिन्न आन्दोलनों का बीजारोपण हो रहा था और इस समय प्राचीन इतिहास के अनुसंधान और संस्कृति के अध्ययन के कारण यह भाव उनमें और अधिक उद्दीप्त होने से सरकार के विरुद्ध एक वातावरण का निर्माण आर्य समाज की शिक्षण संस्थाएँ कर रही हैं। सरकार की हस्तक्षेप न करने की नीति का लाभ उठाकर क्रियात्मक राजनीति की ओर छात्रों का ध्यान दिलाने लगती है और इस प्रकार अपने महत्व और शक्ति में वृद्धि करने को तत्पर रहती है। डी.ए.वी. शिक्षण संस्थाओं से वैदिक आदर्शों के विधिवत अध्ययन का लाभ प्राप्त कर अंग्रेजी भाषा में निष्णांत युवक समुदाय जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन में उद्यत हुआ वहाँ गुरूकुलों के माध्यम से विज्ञान आदि के शिक्षण प्राप्त करने के साथ-साथ वह राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति भी उत्सुक होने लगा था। सरकारी खूफीया विभाग के प्रतिवेदनों में एक छात्रा सुमित्रा देवी का नाम उल्लेखनीय मिलता है। जिसने महिलाओं में विशेष प्रचार कार्य किया था।

इस महाविद्यालय की कु. लज्जावती ने लाला लाजपत राय के सानिध्य में सरसाइमन के विरुद्ध जुलूस में कार्य किया। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में यह स्त्री सेविकाओं की कमाण्डर थी। उन्होंने महाविद्यालय में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। 1924 की स्नातिका सुशीला दीदी का नाम भी राष्ट्रीय गीतों के माध्यम से महिलाओं को राष्ट्रीय जागृति हेतु उल्लेखनीय है। इसी प्रकार श्रीमती कौशल्या, श्रीमती सुभद्रा देवी जिन्होंने 1930 के कांग्रेस के राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया और जेल गई।

भगतसिंह द्वारा कलकत्ता पहुँचने पर सुशीला दीदी ने ही उन्हें अपने घर में शरण दी थी। इन्हें भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद आदि दीदी कहा करते थे। यहीं की

श्रीमती सत्यवती जिन्होंने पंजाब के राष्ट्रीय नेता लाला अचिन्तराम के साथ विवाह कर पंजाब की गांधी स्मारक निधि, सर्वोदय मण्डल के माध्यम से जनकल्याण का कार्य करती रही। सरोजनी नायडू ने 2 नवम्बर, 1925 को इस महाविद्यालय के योगदान की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी।

दयानन्द शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, कानपुर जिसके पहले आचार्य लाला दीवानचंद थे जिन्होंने यहाँ के छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न किया। श्री महावीर सिंह, श्री सुरेन्द्रनाथ पाण्डे, श्री शिववर्मा जैसे छात्रों ने क्रान्तिकारी पार्टी बनाई। बाद में काकोरी ट्रेन डकैती के बाद यह अस्त व्यस्त हो गई। लाहौर साण्डर्स हत्याकाण्ड में गिरफ्तार छात्र अधिकांश डी.ए.वी. कॉलेज के विद्यार्थी थे। इनमें श्री शिव वर्मा, श्री सुरेन्द्र पाण्डे, श्री जयदेव कपूर, श्री महावीर सिंह का नाम उल्लेखनीय है।श्री सुन्दरलाल द्वारा लिखित 'भारत में अंग्रेजी राज्य' और चांद का 'फाँसी' अंक जैसा था। श्री अश्विनी कुमार मिश्र उक्त क्रान्तिकारी साहित्य छात्रों को उपलब्ध करवाते थे। क्रान्तिकारियों में परस्पर पत्राचार और शस्त्र पहुँचाने का कार्य प्राय: डी.ए.वी. कॉलेज, कानपुर के छात्र किया करते थे।

पुलिस और डी.ए.वी. के छात्रों के बीच 1 दिसम्बर, 1930 की मुठभेड़ में क्रान्तिकारी नेताओं का कार्यक्रम पुलिस को मिला था जिसमें डी.ए.वी. कॉलेज के छात्र सरस्वती प्रसाद खरे के साथ रात गुजारनी थी। पुलिस सुपरिटेडेंट मि. फील्ड और डिप्टी पुलिस सुपरिटेंटेड ने मि. हण्ट ने छापा मारा। शालिग्राम शुक्ल ने पुलिस ने पुलिस पर गोलियाँ बरसाई और वे पुलिस की गोली से शहीद हो गये जो डी.ए.वी. कॉलेज के बी.ए. प्रथम वर्ष के छात्र थे।

यह कहना उचित होगा, ''इसमें सन्देह नहीं कि इस शिक्षण संस्था के राष्ट्रीय वातावरण के कारण विद्यार्थियों को स्वराज के लिए संघर्ष की प्रेरणा प्राप्त होती थी।''

भारत में स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष हुआ, वह सशस्त्र और क्रान्तिकारी ही नहीं था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में शान्तिमय और अहिंसात्मक साधनों द्वारा भी स्वराज्य के लिए प्रयत्न किया जा रहा था। जनता में जागृति उत्पन्न कर उसे अपने अधिकारों का बोध कराना और उनके लिए संघर्ष करने को तैयार करना महात्मा गांधी का उद्देश्य था। इसी प्रयोजन से उन्होंने असहयोग तथा सत्याग्रह आन्दोलनों का प्रारम्भ किया था। डी.ए.वी. कॉलेज के विद्यार्थियों ने इन आन्दोलनों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। सन् 1928 में जब महात्मा गांधी कानपुर आये, तो इसी कॉलेज के प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने उनके स्वागत तथा सार्वजनिक व्याख्यान का आयोजन किया था, और उन्हें एक थैली भी भेंट की थी। अन्य शिक्षण-संस्थाओं ने अपने को स्वाधीनता संघर्ष से पृथक् रखना ही श्रेयस्कर समझा था।

अजमेर में दयानन्द कॉलेज 1883 में स्थापित हुआ जबकि दयानन्द हायर सैकण्डरी स्कूल 1888, विरजानन्द हायर सैकण्डरी स्कूल, 1943 मं की स्थापना कर राजस्थान के राजनीतिक जागृति के उन्नयन में सशक्त कार्य किया।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि डी.ए.वी. संस्थाओं की स्थापना स्वामी दयानन्द सरस्वती के वैदिक सिद्धांतों और आधुनिक विज्ञान आधारित शिक्षा को साथ लाने के उद्देश्य से हुई। इन संस्थाओं ने विद्यार्थियों में स्वदेश, संस्कृति और स्वतंत्रता के लिए गहरी राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा की। लाला लाजपत राय, भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी डी.ए.वी. संस्थानों से जुड़े थे। संस्थाओं ने जातिवाद, बालविवाह, पर्दा प्रथा आदि के विरोध में जागरूकता फैलाई। स्वदेशी वस्त्रों, खादी और विदेशी वस्त्र बहिष्कार को बढ़ावा दिया। डी.ए.वी. नेताओं ने अखबारों के माध्यम से जनचेतना फैलायी। असहयोग, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलनों में छात्रों व शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बनीं।

आर्य समाज की डी.ए.वी. शिक्षण संस्थाएँ न केवल आधुनिक भारत की शिक्षा-क्रांति की अग्रदूत रहीं, बल्कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी वैचारिक और मानव संसाधन की शक्ति प्रदान की। इन संस्थाओं ने विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, आत्मबल, संस्कृति के प्रति गर्व और स्वतंत्रता का भाव जाग्रत किया। इस प्रकार, डी.ए.वी. आन्दोलन शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का एक मौन, किन्तु प्रभावशाली स्तम्भ सिद्ध हुआ।

❑❑❑